

**कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची**



वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpccfdevelopment@gmail.com, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01 / योबजट-12/2016-608

दिनांक : 09.05.2017

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा/ दुमका वन प्रमण्डल, दुमका/ साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज/ पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़/ लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार/ लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा/ गुमला वन प्रमण्डल, गुमला/ खूंटी वन प्रमण्डल, खूंटी/ राँची वन प्रमण्डल, राँची/ सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा/ जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर/ सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला/ चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा/ कोल्हान वन प्रमण्डल, चाईबासा/ पोड़ाहाट वन प्रमण्डल, चाईबासा/ सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा/ विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमण्डल, चाईबासा

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत बौंस गैवियन एवं रैखिक वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) हेतु कुल रु 263.872 लाख (दो करोड़ तिरसठ लाख सतासी हजार दो सौ रुपये) मात्र राशि का ऑनलाइन उपावंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/योब0-18/2016- 30/स्वी0 व0प0 दिनांक 07.09.2016 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 4/योब0-18/2016- 11/आ0 व0प0 दिनांक 04.04.2017।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 796 जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-59-अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल रु 263.872 लाख (दो करोड़ तिरसठ लाख सतासी हजार दो सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796590103	203.996
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796590323	59.876
कुल :-		263.872

३

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन के अनुलग्नक-1 (क) एवं (ख) पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने—अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2 (क) एवं (ख) तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या— पी0 19S240601796590103 तथा पी0 19S240601796590323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. वन प्रमण्डलों द्वारा “स्थल विशेष प्राक्कलन” श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं कार्य दरों पर तैयार किया जायेगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जायेगी।

6. नियंत्री तथा व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप ही रखा जायेगा तथा राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं संबंधित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

8. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथ एतद् संबंधी पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

10. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

11. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत दिशा—निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या—940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

13. रोपित पौधों/ वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/ सत्यापन असम्बद्ध प्रमण्डल से कराई जायेगी।

14. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो0बजट—12 / 2016—608 दिनांक—09.05.2017

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/ मुख्य वन संरक्षक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखण्ड, राँची/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/ राँची/ जमशेदपुर/ पलामू/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, पलामू/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो0बजट—12 / 2016—608 दिनांक—09.05.2017

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, जामताड़ा/ दुमका/ साहेबगंज/ पाकुड़/ लातेहार/ लोहरदगा/ गुमला/ खूंटी/ डोरण्डा, राँची/ सिमडेगा/ जमशेदपुर/ सरायकेला—खरसावां/ चाईबासा/ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत बाँस गैबियन से वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / वन प्रमण्डल का नाम	बाँस गैबियन (संख्या में)	वित्तीय वर्ष 2017-18 (समापन कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			321.86	91.50	413.36
i	ii	iii	vii	viii	ix
1	जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा	1500	4.828	1.373	6.201
2	दुमका वन प्रमण्डल, दुमका	3000	9.656	2.745	12.401
3	साहेबगंज वन प्रमण्डल साहेबगंज	3500	11.265	3.202	14.467
4	पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़	1500	4.828	1.373	6.201
5	लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार	3200	10.300	2.928	13.228
6	लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा	3200	10.300	2.928	13.228
7	गुमला वन प्रमण्डल, गुमला	3353	10.791	3.068	13.859
8	खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी	2500	8.047	2.288	10.335
9	राँची वन प्रमण्डल, राँची	7000	22.530	6.404	28.934
10	सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा	3500	11.265	3.203	14.468
11	जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर	6000	19.311	5.490	24.801
12	सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला	4000	12.874	3.660	16.534
13	चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा	4000	12.874	3.660	16.534
14	कोल्हान वन प्रमण्डल, चाईबासा	2000	6.437	1.830	8.267
15	पोड़ाहाट वन प्रमण्डल, चाईबासा	2000	6.437	1.830	8.267
16	सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा	1000	3.219	0.915	4.134
17	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा	6000	19.312	5.490	24.802
18	विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमण्डल, चाईबासा	3000	9.656	2.745	12.401
योग :-		60253	193.930	55.132	249.062

अनुलग्नक-1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत रैखिक वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का जिला एवं प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / वन प्रमण्डल का नाम	रैखिक वृक्षारोपण (कि०मी०)	वित्तीय वर्ष 2017-18 (समापन कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			100665.75	47450.00	148115.75
i	ii	iii	vii	viii	ix
1	राँची वन प्रमण्डल, राँची	5	5.033	2.372	7.405
2	जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर	5	5.033	2.372	7.405
योग :-		10	10.066	4.744	14.810
सकल योग :-			203.996	59.876	263.872


अपर प्रधान मंत्री वन संरक्षक विकास,  
झारखण्ड राँची

कार्य दर तालिका (प्रति गैबियन)पथरट / संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस -गैबियन में वृक्षारोपन

1. बाँस-गैबियन का आकार: 6'-6"x2'-6"x2'-6"

क्र० सं०	कार्य की विवरणी	मानव दिवस (प्रति हे०)	मजदूरी, (रु०)	सामग्री प्रति हे०	कुल व्यय (रु०)	अभियुक्ति
i	ii	iv	v	vi	vii	viii
(A) द्वितीय वर्ष 2017-18 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस ₹० 229.90						
1	पौधों का मूल्य, मृत पौधों के प्रतिस्थापन हेतु 20 प्रतिशत अतिरिक्त पौधों के प्रावधान के साथ स्थल पर ढुलाई सहित	0.00	0.00	20.00	20.00	पौधों का क्रय विभागीय लन्धे पौधों की नर्सरी से किया जाएगा।
2	गड्ढे में डालने हेतु बालू एवं गोवर खाद का क्रय एवं मिश्रण बनाना ;बाजे बालू बजे वर्णित कम्पोस्ट मिट्टी के साथ)	0.15	34.49	20.00	54.49	
3	पौधारोपण (DAP-50 ग्राम तथा कीटनाशक 4 ग्राम)	0.10	22.99	2.00	24.99	
4	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम— 5ग्रा. युरिया5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया.5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया.5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव	0.15	34.49	4.50	38.99	
5	पटवन (रिक्षा / डेला द्वारा)	0.50	114.95	25.00	139.95	
6	सुरक्षा	0.50	114.95	0.00	114.95	
7	साईन-बोर्ड एवं गैबियन नंबरिंग प्रति गैबियन	0.00	0.00	20.00	20.00	
	योग	1.40	321.86	91.50	413.36	

अपर प्रधान मन्त्री वन संरक्षक, विकास,  
शास्त्रज्ञ, संची



## वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : कंटीले तार से धेरान के साथ पथतट रोपण (Multi Row with barbed wire fencing)

स्पेसिंग    { पंक्ति से पंक्ति की दूरी—3 मी०

पौधे से पौधे की दूरी—3 मी०

प्रति किमी० पौधों की संख्या—2000 पौधे

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	सामग्री (रु० में)	मजदूरी (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
<b>ख वित्तीय वर्ष 2017–18 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 229.90</b>						
1	पौधों का मूल्य, मृत पौधों के प्रतिस्थापन हेतु 10 प्रतिशत अतिरिक्त पौधों के प्रावधान के साथ स्थल पर ढुलाई सहित @ Rs. 20 प्रति पौधा	2200 पौधा	0.00	44000.00	0.00	44000.00
2	पौधा रोपण	प्रति किमी०	45.00		10345.50	10345.50
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	प्रति किमी०	50.00	0.00	11495.00	11495.00
4	पौधों की सुरक्षा	प्रति किमी०	120.00	0.00	27588.00	27588.00
5	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	प्रति किमी०	0.00	3150.00	0.00	3150.00
6	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	प्रति किमी०	0.00	300.00	0.00	300.00
7	पटवन, आवश्यकतानुसार		180.00	0.00	41382.00	41382.00
	<b>योग :-</b>		<b>395.00</b>	<b>47450.00</b>	<b>90810.50</b>	<b>138260.50</b>

अपर प्रधान अध्यक्ष सचिव, विकास,  
झारखण्ड, राँची



## आवंटन आदेश

**झारखण्ड सरकार**

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

**पत्र संख्या -** 01/YB-12/2016/608

**दिनांक -**

**09-May-2**

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796590103	29345	JMTFOR001 RAJ KUMAR SAH D.F.O. JAMTARA	482,800.00 रुपये चार लाख बयासी हजार आठ सौ
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी			
2	S 19 240601796590103	29346	DMKFOR010 ABHISHEK KUMAR D.F.O.DUMKA	965,600.00 रुपये नौ लाख पैसठ हजार छ: सौ
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी			
3	S 19 240601796590103	29347	SBJFOR001 MANISH KUMAR TIWARY DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	1,126,500.00 रुपये घ्यारह लाख छब्बीस हजार पाँच सौ
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी			
	State Scheme : Central Scheme :			2,574,900.00

योगः:

क्रमिक योगः:

रुपये पच्चीस लाख चौहत्तर हजार नौ सौ

(SHRI SATNAM SINGH)

ADDI.P&P DEVARAJ SHAND

क्रमांक	विपर कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी	29348	PKRFOR001 RAJNISH KUMAR DIVISIONAL FOREST OFFICER	482,800.00
5	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी	29349	LTRFOR001 VIJAY SHANKAR DUBEY DEO FOREST DIV LATEHAR	1,030,000.00
6	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी	29350	LDGFOR001 VIKASH KUMAR UJJWAL DIV.FOREST OFFICER	1,030,000.00
<hr/>				
योग:				2,542,800.00
क्रमिक योग:	रुपये इकावन लाख स त्र ह हजार सात सौ			5,117,700.00



(SHRI SATNAM SINGH  
ADDI.PD.O. DEVARAJPURHAN)

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29351	GMLFOR001 AJIT KUMAR SINGH D.F.O. GUMLA	1,079,100.00 रुपये दस लाख उन्नासी हजार एक सौ
8	 State Scheme : Central Scheme : S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29352	RNCFORK01 A.K. GUPTA D.F.O. KHUNTI	804,700.00 रुपये आठ लाख चार हजार सात सौ
9	 State Scheme : Central Scheme : S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29354	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	2,756,300.00 रुपये सत्ताइस लाख छप्पन हजार तीन सौ

योगः

रुपये सिल्लान्दे लाख सल्लावन हजार आठ सौ

क्रमिक योगः

卷之三

(SHRI SATNAM SINGH


JADDI BACHHNAAN AFSHAN

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी	29357	SDGFOR002 TAJBIR BHAGAT DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	1,126,500.00 रुपये ग्यारह लाख छब्बीस हजार पाँच सौ
11	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी	29360	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRMUSR.	2,434,400.00 रुपये चौहास लाख चौतीस हजार चार सौ
12	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी	29362	SKLFOR001 A EKKA D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	1,287,400.00 रुपये बारह लाख सित्यासी हजार चार सौ
<hr/>				
योग:				4,848,300.00
क्रमिक योग:	रुपये एक करोड़ छयालीस लाख छ: हजार पाँच सौ			14,606,100.00
<hr/>				




(SHRI SATNAM SINGH  
ADDI.PODHARAVANARUPRAKHAND)

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29364	KUMAR ASHUTOSH (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV.	रुपये बारह लाख सित्यासी हजार सौ
14	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29366	VINAY KANT MISHRA D.F.O.KOLHAN FOREST DIV.CBSA	रुपये छ: लाख तीरयालीस हजार सात सौ
15	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29369	SRI.SHIV KUMAR PRASAD D.F.O.PORAHAT FOREST DIV.	रुपये छ: लाख तीरयालीस हजार सात सौ
<hr/>				
योग:				2,574,800.00
क्रमिक योग:	रुपये एक करोड़ इकहत्तर लाख अस्ती हजार नौ सौ			17,180,900.00

  
SHRI SATNAM SINGH  
ADDI.P.DIPDEWANARSHAND


क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29373	SGHFOR011  SRI.SATISH CHANDRA RAI D.F.O.SARANDA FOREST DIV.IFS	321,900.00 रुपये तीन लाख इक्टीस हजार नौ सौ
17	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29376	SDGAIF002  SRI NIRANJAN PRASAD DEO DIV F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	1,931,200.00 रुपये उन्नीस लाख इक्टीस हजार दो सौ
18	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29379	SGHFOR012  SRI ANIL KUMAR SHRIVASTAWA D.F.O. W. F. PRO.DIV.CBSA.	965,600.00 रुपये नौ लाख पैसठ हजार छ: सौ
<hr/>				
योग:				3,218,700.00
क्रमिक योग:	रुपये दो करोड़ तीन लाख निनानवे हजार छ: सौ			20,399,600.00



(SHRI SATNAM SINGH)  
ADDI.PGD DEWANAPURHAN


क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 240601796590323	29390	JMTFOR001 RAJ KUMAR SAH D.F.O. JAMTARA	137,300.00 रुपये एक लाख सौतीस हजार तीन सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme : Central Scheme :			
20	S 19 240601796590323	29392	DMKFOR010 ABHISHEK KUMAR D.F.O.DUMKA	274,500.00 रुपये दो लाख चौहत्तर हजार पैंच सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme : Central Scheme :			
21	S 19 240601796590323	29394	SBJFOR001 MANISH KUMAR TIWARY DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	320,200.00 रुपये तीन लाख बीस हजार दो सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme : Central Scheme :			
योग:				732,000.00
क्रमिक योग:	रुपये दो करोड ग्यारह लाख इकतीस हजार छ: सौ			21,131,600.00
			 (SHRI SATNAM SINGH) ADDL.PAO/DIV.OFF.SAHIBG RANCHI	

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 240601796590323 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	29396	PKRFOR001 RAJNISH KUMAR DIVISIONAL FOREST OFFICER	137,300.00
23	S 19 240601796590323 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	29399	LTRFOR001 VIJAY SHANKAR DUBEY DFO FOREST DIV LATEHAR	292,800.00
24	S 19 240601796590323 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	29401	LDGFOR001 VIKASH KUMAR UJJWAL DIV FOREST OFFICER	292,800.00
<hr/>				
योग:	रुपये दो करोड अठारह लाख चौपन हजार पाँच सौ			
क्रमिक योग:	रुपये दो लाख बयानवे हजार आठ सौ			
<hr/>				
Page 8 of 12	164,100,150.21	RANCHI	Run Date	9/5/2017

  
(SHRI SATNAM SINGH  
ADDI.PS/PI/DEVANARSHAND)

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
25	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	29404	GMLFOR001 AJIT KUMAR SINGH D.F.O. GUMLA	306,800.00
26	State Scheme : Central Scheme : S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	29408	RNCFOR01 A.K. GUPTA D.F.O. KHUNTI	228,800.00
27	State Scheme : Central Scheme : S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	29411	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	877,600.00
<hr/>				
योग:				1,413,200.00
क्रमिक योग:	रुपये दो करोड बत्तीस लाख सड़सठ हजार सात रुपये			23,267,700.00

  
(SHRI SATNAM SINGH  
ADDI.P. BAPIDEVANARHAN)

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	29413	SDGFOR002 TAJBIR BHAGAT DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	रुपये तीन लाख बीस हजार तीन सौ
29	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	29415	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM:JSR.	रुपये सात लाख छियासी हजार दो सौ
30	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	29417	SKLFOR001 A EKKA D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	रुपये तीन लाख छाँठ हजार
योगः क्रमिक योगः	रुपये दो करोड सैतालीस लाख चालीस हजार दो सौ	 	1,472,500.00 24,740,200.00	

योगः

क्रमिक योगः

कृपये हो करोड सैतालीस लाख चालीस हजार ते तीन

1,472,500.00

24,740,200.00


Page 10 of 12

164.100.150.21

RANCH

Pair Data

9/5/2017

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
31	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	29418	SGHFOR010 KUMAR ASHUTOSH (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV.	366,000.00 रुपये तीन लाख छाँठ हजार
32	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	29422	SGHFOR002 VINAY KANT MISHRA D.F.O.KOLHAN FOREST DIV.CBSA	183,000.00 रुपये एक लाख तिरयासी हजार
33	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	29425	SGHFOR003 SRI.SHIV KUMAR PRASAD D.F.O.PORAHAT FOREST DIV.	183,000.00 रुपये एक लाख तिरयासी हजार
<hr/>				
योग:	रुपये दो करोड चौपन लाख बहस्तर हजार दो सौ			
क्रमिक योग:	 SHRI SATNAM SINGH ADDI.P.BSPIDEWANARPPHAND			
Page 11 of 12	164.100.150.21	RANCHI	Run Date	9/5/2017

